उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग--2
संख्याः-3714 /सेक-2-पांच-17-5(40)/2015
लखनऊः दिनांक : 10 नवम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद झांसी में वर्ष 2010--11 में एन0आर0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत दवाओं/उपकरणों के खरीद में की गयी अनियमितता में प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत डा0 दुष्यन्त कुमार सिंह (वरिष्ठता कमांक--9955), तत्कालीन एस0एम0ओ0 (स्टोर) कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी सम्प्रति चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र, कादीपुर, सुलतानपुर के विरूद्ध शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या--2437/सेक-2--पांच--15--5(40)/2015, दिनांक 06.08.2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मण्डल, झांसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रश्नगत अपकृत्य/कदाचार हेतु डा0 दुष्यन्त कुमार सिंह को कार्यालय-ज्ञाप संख्या--2922/सेक-2-पांच-15-5(40)/2015, दिनांक 14.09.2015 द्वारा निलम्बित करते हुए कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से सम्बद्ध किया गया।

2-- डा0 दुष्यन्त कुमार सिंह (वरिष्ठता कमांक--9955), तत्कालीन एस0एम0ओ0 (स्टोर) कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी सम्प्रति निलम्बित के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित रखते हुए कार्यालय--ज्ञाप संख्या--2922/सेक--2--पांच--15-5(40)/2015, दिनांक 14.09.2015 द्वारा किये गये निलम्बन को समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए डा0 सिंह को मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के अधीन तैनात किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-3714 (1)/सेक-2-पॉच-17, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1-- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-- महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3-- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4-- जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मण्डल, झांसी।
5-- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
6-- मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी/फैजाबाद।
7-- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी/फैजाबाद।
8-- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
9-- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्साधिकारी का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10-- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्याः– 3732 / सेक–2–पांच–17–5(37) / 2017
लखनऊः दिनांक : 10 नवम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 राजेश कुमार (वरिष्ठता क्रमांक–6395), वरिष्ठ परामर्शदाता (सर्जन), मोतीलाल नेहरू जिला चिकित्सालय, इलाहाबाद द्वारा मरीज से इलाज / आपरेशन हेतु रू0 5,000 / – की मांग किये जाने, मरीज के परिजनों से अमर्यादित व्यवहार करने आदि गम्भीर अनियमितताओं हेतु शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1418 / सेक–2–पांच–17–5(37) / 2017, दिनांक 25.04.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रश्नगत अपकृत्य / कदाचार हेतु डा0 राजेश कुमार को कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1859 / सेक–2–पांच–17–5(37) / 2017, दिनांक 25.04.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–4(1) के अन्तर्गत निलम्बित करते हुए कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया।

2– डा0 राजेश कुमार, तत्कालीन वरिष्ठ परामर्शदाता (सर्जन), मोतीलाल नेहरू जिला चिकित्सालय, इलाहाबाद सम्प्रति निलम्बित के संबंध में जांच अधिकारी / अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या–अ0नि0 / डा0 राजेश कुमार / मो0ला0ने0चिकि0इला0 / जांच / 2017 / 3995, दिनांक 04.09.2017 के माध्यम से जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें डा0 राजेश कुमार के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।

3– डा0 राजेश कुमार, तत्कालीन वरिष्ठ परामर्शदाता (सर्जन), मोतीलाल नेहरू जिला चिकित्सालय, इलाहाबाद सम्प्रति निलम्बित के विरूद्ध लगाया गया आरोप जांच अधिकारी द्वारा प्रमाणित न पाये जाने के फलस्वरूप डा0 राजेश कुमार के विरूद्ध शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1418 / सेक–2–पांच–17–5(37) / 2017, दिनांक 25.04.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1859 / सेक–2–पांच–17–5(37) / 2017, दिनांक 25.04.2017 द्वारा किये गये निलम्बन को समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए डा0 राजेश कुमार को जिला पुरूष चिकित्सालय, प्रतापगढ़ में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतदद्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

4– डा0 राजेश कुमार के निलम्बन अवधि को सेवा अवधि माने जाने एवं प्रश्नगत अवधि के अवशेष वेतन भत्तों के भुगतान के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0– 3732 (1) / सेक–2–पॉच–17, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4– जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

5– प्रमुख अधीक्षक, मोतीलाल नेहरू जिला चिकित्सालय, इलाहाबाद।

6– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय, प्रतापगढ़।

7– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।

8– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

9– प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्साधिकारी का पी–2 संशोधित करने का कष्ट करें।

10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्याः– 4399 / सेक–2–पांच–17–5(294) / 2014टी0सी0
लखनऊः दिनांक : 10 नवम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 अभिमन्यु कुमार (वरिष्ठता क्रमांक–7078), तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर सम्प्रति निलम्बित द्वारा उक्त पद पर तैनाती की अवधि में वर्ष 2009–10 में जनपद बिजनौर में शासनादेशों एवं पी0आई0पी0 के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन कर बिना प्रक्रिया अपनाये मेसर्स जे0एम0 फार्मा से फर्जी अभिलेखों एवं बाजार से ऊंची दर पर दवाईयों का क्रय कर रू0 5,98,015/– की शासकीय क्षति कारित की गयी। प्रश्नगत अनियमितता हेतु डा0 अभिमन्यु कुमार के विरूद्ध शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1119/सेक–2–पांच–15–5(294)/2014टी0सी0, दिनांक 08.04.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। डा0 अभिमन्यु कुमार द्वारा कारित शासकीय क्षति, गम्भीर कदाचार आदि हेतु कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1152/सेक–2–पांच–15–5(294)/2014टी0सी0, दिनांक 09.04.2015 द्वारा निलम्बित कर कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है।

2– डा0 अभिमन्यु कुमार (वरिष्ठता क्रमांक–7078), तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1152/सेक–2–पांच–15–5(294)/2014टी0सी0, दिनांक 09.04.2015 द्वारा किया गया निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए डा0 अभिमन्यु कुमार को वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय, जौनपुर के पद पर तैनात किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतदद्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

3– डा0 अभिमन्यु कुमार के विरूद्ध शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1119/सेक–2–पांच–15–5(294)/2014टी0सी0, दिनांक 08.04.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान रहेगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0–4399 (1)/सेक–2–पॉच–17, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4– जांच अधिकारी/निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5– अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
6– मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर।
7– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जौनपुर।
8– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर/जौनपुर।
9– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
10– प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्साधिकारी का पी–2 संशोधित करने का कष्ट करें।
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।